

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— अरुण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
344 / 2025

दायर दिनांक
13.06.2025

आदेश दिनांक
.....2026

उनवान

1. श्री देवीलाल पिता नगजीराम माली निवासी सांगानेरी गेट, भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री डालू पिता बालूराम तेली जाति तेली निवासी सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
2. श्रीमति रामू बाई पत्नि जमना लाल तेली जाति तेली निवासी सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
3. श्री अमीत कुमार पिता जगदीश चन्द्र जाट जाति जाट निवासी सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
4. श्री राकेश पिता लादू लाल कुम्हार जाति कुम्हार निवासी सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
5. श्री अरुण पिता सत्यनारायण त्रिपाठी जाति त्रिपाठी निवासी बडगांव जिला उदयपुर। (विलोपित)
6. श्री मुकेश कुमार पिता मांगीलाल शर्मा जाति शर्मा निवासी सुवाणा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
7. श्री विकास पिता सत्यनारायण त्रिपाठी जाति त्रिपाठी निवासी बडगांव जिला उदयपुर। (विलोपित)
8. श्रीमति कान्ता देवी पत्नि देवीलाल माली जाति माली निवासी सांगानेरी गेट, भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार साहब भीलवाडा।

— विपक्षीगण

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :-

उपस्थित:-

1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री लादूलाल जाट उपस्थित।
2. विपक्षीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 09 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित।

—:: आदेश ::—

आदेश दिनांक.....

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री लादूलाल जाट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा कलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की खाता संख्या 614 में आराजी संख्या 3817 रकबा 0.3288 हैक्टेयर व खाता संख्या 615 में आराजी संख्या 3818 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3818/3 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3818/4 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 04 चार कुल रकबा 0.999 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण पड़ोसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 लगायत 09 की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर राजस्व अभिलेख अनुसार नपती कराई जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार है।

19/5/25
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 व 06, 08 बाद सूचना उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 व 06, 08 बाद सूचना उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 व 06, 08 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 29.01.2026 को प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 05 व 07 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से नाम प्रार्थना पत्र से विलोपित किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया।

प्रार्थी उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाना उचित है, परंतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 05 व 07 के विरुद्ध कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

अतः तहसीलदार भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुवाणा पटवार हल्का सुवाणा कलां, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाड़ा की खाता संख्या 614 में आराजी संख्या 3817 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, कुल किता 01 एक कुल रकबा 0.3288 हैक्टेयर व खाता संख्या 615 में आराजी संख्या 3818 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3818/3 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, आराजी संख्या 3818/4 रकबा 0.0885 हैक्टेयर कुल किता 03 तीन कुल रकबा 0.6702 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी की कार्यवाही उभय पक्षकारों की उपस्थिति में सीमाचिन्ह निशानात कायम किये जाने की हद तक है। उक्त पत्थरगढ़ी की कार्यवाही प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम सुवाणा की खाता संख्या 614 में आराजी संख्या 3817 व खाता संख्या 615 में आराजी संख्या 3818, 3818/3 व 3818/4 की अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 04 व 06, 08 की खातेदारी भूमि की दिशा तक की जावे। अप्रार्थी संख्या 05 व 07 के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 05 व 07 की खातेदारी भूमि की दिशा में पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त के नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे। निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नंबर से कम हो।

9/5/26
(अरुण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा